प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में.

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषंद, शिक्षा केन्द्र—2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली।

पत्रांकः एन०ओ०सी० / 2020-21 दिनांकः 09-07-2020 विषयः आर०के०जी० इण्टरनेशनल स्कूल, ग्राम केलनपुर, ब्लाक जलीलपुर, बिजनौर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापित्त प्रमाण पत्र दिया जाना। महोदय.

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (7) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 1916/15—7—09—01(299)/2007 दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 08.07.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार आर0के0जी0 इण्टरनेशनल स्कूल, ग्राम केलनपुर, ब्लाक जलीलपुर, बिजनौर विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैं:—

- 1— विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगें और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3— निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 4— फीस उन्हीं मदों में चार्ज किये जायें जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व में स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में वार्ज किया जा रहा है। काशनमनी /भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाये।
- 5— स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 6— संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 7— संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें।
- 8- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगीं और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगें।

Any

- 9— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें संस्था उनक पालन करेगी।
- 10- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 11— राज्य सरकार एवं सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता समब्द्वता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगीं।
- 12— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अरविन्दं कुमार पाण्डेय) संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

पृ०सं०ः एन०ओ०सी० / ९५० ५५ / २०२०–२१ दिनांकः उक्तवत्। प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

जिलाधिकारी, बिजनौर।

3— जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर।

3— जिला पिद्याराय निराधीयः, पिर्यं गर्भ प्रबन्धक, आर0के0जी0 इण्टरनेशनल स्कूल, ग्राम केलनपुर, ब्लाक जलीलपुर, बिजनौर।

> (अरविन्दं कुमार पाण्डेय) संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव

द्वादश मण्डल, मुराताबाद।